[2019] 4 एस.सी.आर. 863

दानेश्वर सुरेश बोरकर
बनाम
महाराष्ट्र राज्य
(दाण्डिक अपील संख्या 1411–2018)
20 फरवरी, 2019
[ए. के. सीकरी. एस. अब्दुल नज़ीर और एमएलआर शाह, जे.जे.]

दण्डादेश/सजाः मृत्युदण्ड की सज़ा – एक नाबालिग बच्चे की हत्या के लिए – निर्धारित किया गयाः अपराध क्रूर था, लेकिन मृत्युदण्ड उचित नहीं क्योंकि आरोपी पूर्व दोषी या पेशेवर हत्यारा नहीं था – अपराध के समय, वह 22 वर्ष की आयु का था – जेल में उसका आचरण भी अच्छा बताया गया – न्याय के हित में शमन करने वाली परिस्थितियां अभियुक्त के पक्ष में हैं, मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में लघुकरण किया जाता है। अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायालय ने निर्धारित कियाः मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में बदलते समय, गंभीर और शमन करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाते हुए, शमन करने वाली परिस्थितियां अभियुक्त के पक्ष में हैं। अभियुक्त के पक्ष में शमन करने वाली परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं : अपराध के समय अभियुक्त की आयु 22 वर्ष थी; कि, अब तक वह 18 साल जेल में बिता चुका है; जेल में रहते हुए उसका आचरण अच्छा था; कि, आरोपी ने एक शिष्ट व्यक्ति बनने की कोशिश की और जेल से बी.ए. में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उसने सुधारवादी बनने की कोशिश की है; जेल में उसके द्वारा लिखी गई कविताओं से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है जो उसने उस समय की थी जब वह छोटी उम्र का था और इसलिए उसे सुधारा और पुनर्वासित किया जा सकता है। इन विवरणों से पता चलता है कि ऐसी संभावना है कि अभियुक्त समान आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। यह कि अभियुक्त समाज के लिए लगातार खतरा नहीं बनेगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, मृत्युदंड का निर्णय उचित नहीं है। [पैरा 6.1, 7] [866–सी–एच] सुनील बनाम मध्य प्रदेश (2017) एससीसी 393; बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684; श्याम सिंह उर्फ भीमा बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2017) 11 एससीसी 265– पर विश्वास किया। 863 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 4 एस.सी.आर.

केस कानून संदर्भ

(2017) 4 एससीसी 393	विश्वास किया गया	पैरा 4
(1980) 2. एससीसी 684	विश्वास किया गया	पैरा 8
(2017) 11 एससीसी 265	विश्वास किया गया	पैरा 8

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: दाण्डिक अपील
संख्या 1411/2018
कन्फर्मेशन वाद संख्या 1/2005 साथ में दाण्डिक अपील संख्या 618/2005 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 05.05.2006 से।
अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर, हिमांशु अग्रवाल, शादान फरासत, सुश्री जाहन्वी सिंधु, सुश्री श्रुति नारायण, अंशू राज सिंह, सुश्री तृप्ति टंडन।
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता सुश्री दीपा कुलकर्णी, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर।
न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एम. आर. शाह, जे. 1. कन्फर्मेशन वाद संख्या 1/2005 साथ में दाण्डिक अपील संख्या 618/2005, जिसके तहत राज्य द्वारा दाखिल वाद में उच्च न्यायालय ने कन्फर्मेशन वाद को स्वीकार किया और अपीलकर्ता की अपील निरस्त कर दी और भा.दं.सं. की धारा 302 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध से दोषसिद्धि को पुष्ट किया और विद्वान सत्र न्यायालय के द्वारा पारित मृत्युदण्ड को पुष्टि किया, में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 05.05.2006 से व्यथित और असंतुष्ट होकर अभियुक्त अर्थात दानेश्वर सुरेश बोरकर ने वर्तमान अपील को प्रस्तुत किया।

2. यह कि अपीलकर्ता–मूल अभियुक्त पर 'ऋषिकेश' नामक एक नाबालिग बच्चे की हत्या करने के लिए भा.दं.सं. की धारा 302, 364 और धारा 201 सपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा विचारण गया। यह कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे ने अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 302, 364 और धारा 201 सपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और मृत्युदंड दिया। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और उच्च न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा की गयी। अतः वर्तमान अपील। दानेश्वर सुरेश बोरकर बनाम राज्य महाराष्ट्र [म. आर. शाह, जे.]

3. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद ग्रोवर ने निष्पक्ष रूप से कहा है और स्वीकार किया है कि जहां तक दोषसिद्धि का सवाल है, अपीलकर्ता इसे चुनौती नहीं दे रहा है। हालाँकि, उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई सत्र न्यायालय द्वारा दी गई मृत्युदंड को लघु करने की प्रार्थना की है। इसलिए, वर्तमान अपील अब विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गयी मृत्युदण्ड की सजा तथा उच्च न्यायालय के द्वारा पुष्टि तक ही सीमित है।

4. श्री ग्रोवर ने शमन करने वाली परिस्थितियों की ओर इशारा किया जिनके कारण मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में लघु किया जा सकता है। यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि अपराध के समय अभियुक्त की उम्र 22–23 वर्ष थी तथा न तो उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड था और न ही वह कोई कट्टर अपराधी था। यह कि वह एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र था, जिसका कॉलेज या उसके निवास स्थान के गाँव में कोई इतिहास या दुष्कर्म अंकित नहीं था। यह कि उसकी एक विधवा माँ है और वह सबसे बड़ी संतान है। अब तक वह बिना किसी परिहार के 18 साल की सज़ा काट चुका है और परिहार के साथ यह 23 साल होगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि जेल में अभियुक्त का आचरण बहुत अच्छा था। यह प्रस्तुत किया गया है कि जेल में अपीलकर्ता के व्यवहार और आचरण से पता चलता है कि यद्यपि अपीलकर्ता ने युवा वयस्क होने पर अपराध किया हो, लेकिन उसने कारावास का उपयोग अपने कार्यों पर विचार करने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए किया है। 18 साल के लड़के के रूप में, वह एक युवा प्रभावशाली नागरिक था जो खुद से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था और इस प्रक्रिया में वह रास्ता भटक गया और एक घातक गलती कर बैठा। हालाँकि, अगर अपीलकर्ता के जेल में बिताए गए वर्षों से कुछ पता चला है, तो वह यह है कि वह किसी भी तरह से एक कट्टर अपराधी नहीं है और निश्चित रूप से सुधार की सीमा से परे नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जेल में 18 साल की अवधि के दौरान, न केवल उसने सबक सीखा है बल्कि उसे अपने द्वारा की गई गलती का एहसास हुआ है और उसने एक शिष्ट व्यक्ति बनने की कोशिश की है और उसने बैचलर ऑफ आर्ट्स (बी.ए.) में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और गांधी रिसर्च फाउंडेशन, जलगांव द्वारा गांधीवादी विचारों का प्रशिक्षण भी लिया। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि जेल में अभियुक्त द्वारा लिखी गई कविताएँ उसकी वर्तमान मानसिक दशा को दर्शाती हैं और जिससे यह कहा जा सकता है कि उसे उस समय की गई गलती का एहसास हो गया है, जब वह सिर्फ 22 वर्ष का था और वह सुधारात्मक है। उपरोक्त कथनों को दृष्टिगत रखते हुए और सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2017) 4 एससीसी 393 में इस न्यायालय के फैसले पर विश्वास करते हुए, मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में लघु करने की प्रार्थना की गयी है। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 4 एस.सी.आर.

5. राज्य की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता सुश्री दीपा कुलकर्णी ने प्रस्तुत किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी ने फिरौती के लिए एक नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी, जिसका अंततः मृतक के परिवार के सदस्यों पर प्रभाव पड़ा और जिस तरह से अपराध किया गया था वह पूर्व नियोजित था तथा किसी भी प्रकार की नरमी न बरतने की प्रार्थना की गई है।

6. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना और अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में लघु करने की प्रार्थना की गयी।

6.1 सजा पर पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारी राय यह है कि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, मृत्युदंड की आवश्यकता नहीं है। गंभीर और शमन करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाते हुए, हमारी राय यह है कि मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में लघु करते समय शमन करने वाली परिस्थितियां आरोपी के पक्ष में हैं। अभियुक्त के पक्ष में शमन करने वाली परिस्थितियाँ ये हैं:

ए। अपराध के समय अभियुक्त की आयु 22 वर्ष थी;

बी। कि अब तक वह 18 साल जेल में बिता चुका है;

सी। कि जेल में रहते हुए उसका आचरण अच्छा रहा;

डी। कि अभियुक्त ने समाज से जुड़ने की कोशिश की है और एक शिष्ट आदमी बनने की कोशिश की है और जेल से बी.ए. में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उसने सुधारवादी बनने की कोशिश की है;

इ। जेल में उसके द्वारा लिखी गई कविताओं से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है जो उससे उस समय हो गई थी, जब वह छोटी उम्र का था और वह सुधारवादी हैं;

एफ। इसलिए अपीलकर्ता को सुधारा और पुनर्वासित किया जा सकता है।

7. उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि ऐसी संभावना है कि अभियुक्त समान आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। यह कि अभियुक्त समाज के लिए लगातार खतरा नहीं बनेगा। मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और सुनील (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को लागू करते हुए, हमारी राय यह है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, मृत्युदंड का निर्णय उचित नहीं है। हमने प्रत्येक परिस्थिति और अपराध साथ ही आरोपी द्वारा अपराध को अंजाम देने वाले तथ्य पर भी विचार किया है। हालाँकि, हम अपराध की गंभीरता को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम खुद को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यह मामला 'दुर्लभतम मामले' की श्रेणी में आएगा जिसके लिए मृत्युदण्ड की सजा दी जाएगी। निःसंदेह, कारित अपराध क्रूर कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए मृत्युदंड की आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त पूर्व अपराधी या पेशेवर हत्यारा नहीं था। अपराध के समय उसकी उम्र 22 वर्ष थी। जेल में उसका आचरण भी अच्छा बताया जाता है। दानेश्वर सुरेश बोरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

8. उपरोक्त शमन करने वाली परिस्थितियों पर विचार करते हुए और बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684 के साथ–साथ इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय श्याम सिंह उर्फ भीमा बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (2017) 11 एससीसी 265 और सुनील (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय, हम सोचते हैं कि मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में लघु करना न्याय के हित में होगा।

9. उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भा.दं.सं. की धारा 302, 364 और धारा 201 के साथ पठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए आरोपी की सजा की पुष्टि की जाती है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, हम मृत्युदण्ड की सज़ा को आजीवन कारावास में लघुकरण करते हैं। अभियुक्त राज्य सरकार के समक्ष सजा माफी के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिस पर कानून के अनुसार और अपनी योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान अपील उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारित की जाती है।

देविका गुजराल की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

अनुवादकर्ता/निरीक्षणकर्ता–
रत्न शेखर निर्मल
सिविल जज (जू०डि०)/FTC
सहारनपुर